न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 78/18 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2018/00313

अनवान्

1. सुश्री शान्ता पुत्री रामा गाडरी नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सोसर पत्नी रामा गाडरी निवासी पालवासकलां तह. मावली।
2. सुश्री मीना पुत्री रामा गाडरी नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सोसर पत्नी रामा गाडरी निवासी पालवासकलां तह. मावली।
3. श्री किशन पिता रामा गाडरी नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सोसर पत्नी रामा गाडरी निवासी पालवासकलां तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रामा पिता डुंगा गाडरी निवासी पालवासकलां तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का वीरधोलिया तह. मावली।
3. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सुरेश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 09.12.2024

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा पालवासखुर्द पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 598, 599 किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा उक्त वर्णित आराजी वर्तमान में विपक्षी सं. 1 व टांकु पिता डुंगा के नाम संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा एवं मोहन, नारायण, हजारी माता वाली के नाम 1/3 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। मौजा पालवासकलां पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 252, 347, 348 किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा उक्त वर्णित आराजी वर्तमान में विपक्षी सं. 1 व कन्नी बेवा डुंगा गाडरी के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। कन्नी बेवा डुंगा गाडरी का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस हम प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 व टांकु, वाली हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:41:03 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि हम उभय पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :—

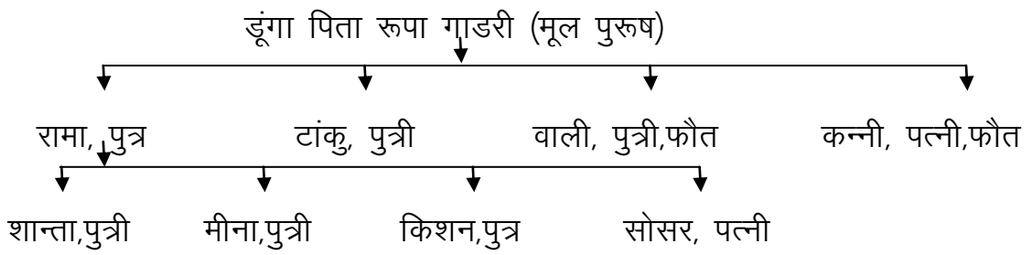

डूंगा पिता रूपा गाडरी (मूल पुरूष)

रामा, पुत्र — टांकु, पुत्री — वाली, पुत्री,फौत — कन्नी, पत्नी,फौत

(रामा, पुत्र:) शान्ता,पुत्री — मीना,पुत्री — किशन,पुत्र — सोसर, पत्नी

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पूर्व में हम प्रार्थीगण के दादा स्व. श्री डुंगाजी के नाम पर अंकित थी जो हमारी पैतृक सम्पति है और हम प्रार्थीगण के दादा डुंगा जी का स्वर्गवास होने के पश्चात् उक्त कृषि भूमि विरासत से विपक्षी सं. 1 एवं पुत्रीया टांकु, वाली एवं पत्नी कन्नी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हुई है लेकिन विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा भूमि पर विपक्षी सं. 1 का अकेले का कोई हक कब्जा नहीं है, हम प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि पर 1/4, 1/4, 1/4 हिस्सानुसार कब्जा हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि हम प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति हैं जिसमें हम प्रार्थीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा हम प्रार्थीगण का विपक्षी सं. 1 जो हम प्रार्थीगण के पिता है, के नाम पर अंकित हिस्सा भूमि पर काबिज है अर्थात् हम प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में 1/4, 1/4, 1/4 हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त करते आ रहे है। जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन हमारे हक हिस्से की भूमि भी वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर अंकित है और वर्तमान में जमीनो के भावों में काफी तेजी होने से विपक्षी सं. 1 के मन में लोभ व लालच की भावना पैदा हो गई है जो लोभ लालच से वशीभूत होकर अपने नाम पर अंकित सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को हस्तान्तरित करने खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहा है और नाजायज लाभ प्राप्त करना चाह रहा है जबकि विपक्षी सं. 1 को अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसलिए हम प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात जो हम प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है उसमें अपने हिस्सा भूमि की खातेदारी हक की घोषणा करा अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाने के अधिकारी है।

5. यह कि हम प्रार्थीगण का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् अधिकार प्राप्त हो गया है लेकिन उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा [illegible] हम प्रार्थीगण को हमारे जायज हक व अधिकारों से वंचित करने की नियत से विपक्षी सं. 1 उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.01.31 12:41:03 IST
Reason: SelfAttested

आमादा हो रहा है जबकि विपक्षी सं. 1 को अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

6. यह कि प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 12.06.2018 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1 ने हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं भूमि का हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अन्त में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, हम प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखें। विपक्षी सं. 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु विपक्षी सं. 3 के समक्ष प्रस्तुत करे तो विपक्षी सं. 3 ताफैसला मूल वाद पंजीयन नहीं करे, विपक्षी सं. 2 व 4 मूल वाद राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

9. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:41:03 IST
Reason: SelfAttested

पर पहुंचे है कि ग्राम पालवास कला पटवार हल्का वीरधोलिया तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 110 पर दर्ज आराजी नम्बर 252, 347, 348 किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा एवं मौजा पालवास खुर्द पटवार हल्का वीरधोलिया तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 की खाता संख्या 30 पर दर्ज आराजी नम्बर 598 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व खाता संख्या 122 पर दर्ज आराजी नम्बर 599 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदारो के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के विपक्षी संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद घोषणा का प्रस्तुत किया उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता हैं। प्रथम दृष्टया जमाबन्दी अनुसार विपक्षी सं. 1 वादग्रस्त भूमि का हिस्सेनुसार खातेदार हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदार नहीं है। विपक्षी संख्या 1 खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में साबित होता हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 हिस्सेनुसार खातेदार होने से यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो इनके खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। ऐसे में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी विपक्षी सं. 1 के पक्ष में साबित होते है। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:41:03 IST
Reason: SelfAttested